

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग

(अनुभाग - ३)

क्रमांक: प०७ (६) प्र० सु०। अनु० ३। ७७

जयपुर, दिनांक २५-६-९३

-: आज्ञा :-

विषय :- विधि साहित्य सम्मेलन की गोष्ठी की सिफारिशों को लागू करने हेतु विधि सतर्कता समिति का पुनर्गठन ।

राजस्थान में विधि साहित्य सम्मेलन की गोष्ठी में हुए निर्णयों को मूर्त रूप देने तथा सम्मेलन की गोष्ठी की सिफारिशों को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार लागू करने के लिये इस विभाग की समस्यक आज्ञा दिनांक १६-३-१९८३, ६-५-१९८३ एवं संशोधन दिनांक १-८-१९८४ के द्वारा गठित विधि सतर्कता समिति, जो एक स्थायी समिति है, का निम्न प्रकार पुनर्गठन करने की राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- १ - मा० श्री एन० के० जैन, अध्यक्ष
- २ - अवर सचिव एवं प्रारूपकार, राजभाषा खण्ड विधि मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली । सदस्य
- ३ - अध्यक्ष, राजस्व मण्डल अथवा उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि । सदस्य
- ४ - निदेशक, भाषा विभाग, जयपुर । सदस्य
- ५ - निवन्धक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर । सदस्य
- ६ - महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर । सदस्य
- ७ - विधि सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर । सदस्य सचिव

आज्ञा से,

महेन्द्र सिंह

शासन उप सचिव

कृ०पृ०अ०

-: २ :-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- १ - सचिव, राज्यपाल महोदय । 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
- ३ - निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- ४ - निजी सचिव, स्टांस्कार राज्यपाल महोदय, विधि एवं विधिक डायरेक्टोरेट विभाग ।
- ५ - समस्त सदस्य । प्रशासनिक विभाग के माध्यम से ।।
- ६ - विधि एवं विधिक कार्य विभाग को उनकी अक्षा० टीप संख्या प०३८ (६७) न्याय । ८५ । भाग-३ दिनांक २२-६-१९६३ के संदर्भ में ।
- ७ - प्रशासनिक सुधार । अनुभाग-७ । विभाग २ अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- ८ - रजिस्ट्रार पत्रावली ।

नोट:- इस वाज्रा में किली प्रकार के परिवर्तन । परिवर्तन कक्षा समिति के बारे में जानकारी के लिये सीधे विधि एवं विधिक डायरेक्टोरेट विभाग । राजस्थान विधि पत्रिका प्रकाशक से सम्पर्क करें ।

२१/१०/७७
अध्यागधिकारी

:अनेकी राणा: